प्रदेशवासी भीषण गर्मी व नौतपा के प्रभाव से बचें- भजनलाल

उन्होंने आमजन से पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी उपलब्ध कराने में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की

जयपुर, 27 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में भीषण गर्मी और नौतपा के मद्देनजर प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने एवं लू के प्रभावों से बचने के लिए जरूरी उपायों को दिनचर्या में अपनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बच्चों-बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों की देखभाल करने के साथ ही प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

उन्होंने आमजन से आव्हान किया है कि गर्मी के इस दौर में संवेदनशीलता और करूणा की भावना से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर छांव एवं शीतल जल की व्यवस्था करने तथा पशु-पक्षियों के लिए भी दाना-पानी उपलब्ध कराने में सक्रिय सहभागिता निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेज गर्मी के इस दौर में हमारे जनगणना कर्मी मेहनत और समर्पण से अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसलिए उनके घर आने पर सहयोग की भावना को प्राथमिकता देते हुए उनका आदर-सत्कार करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी के दौर में जनगणनाकर्मी मेहनत और समर्पण से अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्हें सहयोग दें व प्राथमिकता दें।**

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलान करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश तक भी दे डाले।

इस मामले में राजश्री पान मसाला की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, परंतु उस पर सुनवाई बुधवार को नहीं हुई। सलमान खान की ओर से अदालत में बताया गया कि, वह राजश्री के "ब्रॉंड एम्बेसडर" है और उन्हें उपभोक्ता आयोग में इस मामले में पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह केवल राजश्री ब्रांड की इलायची का विज्ञापन करते हैं, अन्य उत्पादों का नहीं। जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज शिकायत पान मसाले को लेकर है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में भी चुनौती दी गई थी, परंतु वहां से राजश्री व सलमान खान को राहत नहीं मिली थी। हालांकि 7 अप्रैल को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने विज्ञापन करने पर लगाई गई रोक के आदेश को भी रद्द कर दिया था।

असम विधानसभा ने बुधवार को यूसीसी विधेयक पारित किया

विधानसभा में विधेयक पर बहस के दौरान राज्य सरकार व विपक्ष में तीखी नोंकझोंक हुई

गुवाहाटी, 27 मई। असम विधानसभा में बुधवार को लंबी और तीखी बहस के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया गया। इसके साथ ही असम यूसीसी पास करने वाला देश का तीसरा तथा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया।

विधानसभा में विधेयक को सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन मिला, जबकि विपक्षी दलों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। विधानसभा में बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह कानून व्यक्तिगत धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन विरोध के बावजूद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

- **विधेयक में कहा गया है कि यह कानून असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।**

समान नागरिक संहिता (यूसीसी), असम, 2026 बिल पर पूरे दिन चली चर्चा के बाद, स्पीकर रंजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से इसे पास कराने के लिए पेश करने को कहा।

विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें बिल को और ज़्यादा चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही गई थी।

इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। इस बिल में कई दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें दो शादियां या बहुविवाह करने पर सात साल की जेल और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने की जेल की सजा शामिल है।

इस बिल के तहत, शादी के 60 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नियमों का पालन न करने पर सज़ा का भी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर जान-बूझकर शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

वेणुगोपाल ने कर्नाटक पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं के मुताबिक, सौहार्दपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की उम्मीद में कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को राज्यसभा सीट, दिल्ली में पार्टी मामलों में अधिक भूमिका और डीके शिवकुमार सरकार में उनके समर्थकों को उचित हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। सिद्धारमैया ने यह प्रस्ताव सुनने के बाद, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है।

अब सवाल यह है कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब लेंगे?

सूत्रों ने दो संभावनाएं बताई हैं। पहली, सिद्धारमैया गुरुवार या शुक्रवार तक इस्तीफा दे सकते हैं और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताहांत में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, यह संभावना ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की योजना पर सहमति बन चुकी है और पार्टी को उम्मीद है कि सिद्धारमैया जल्द ही पद छोड़ देंगे।

लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, जब तक वह वास्तव में हो न जाए। यदि सिद्धारमैया अपना पद छोड़ने में देरी करते हैं, तो सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा चुनावों, यानी 18 जून, के बाद तक टल सकता है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं और कांग्रेस ने उनमें से एक सीट सिद्धारमैया को देने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी सीट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल सकती है, जो राज्य से वर्तमान सांसद हैं, जबकि तीसरी सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को दिए जाने की संभावना है। इसलिए, यदि अगले कुछ दिनों में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तो कांग्रेस इसे राज्यसभा चुनाव के बाद करना पसंद करेगी, क्योंकि नेतृत्व उच्च सदन के इस महत्वपूर्ण चुनाव से पहले किसी भी आंतरिक राजनीतिक खींचतान से बचना चाहता है। जहां डीके शिवकुमार खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं सिद्धारमैया अभी भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोल रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली बैठकों और संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों के सवालों पर उनका सिर्फ इतना जवाब था, "मैं कल बोलूंगा।"

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया खेमे की कोशिश है कि डीके शिवकुमार सरकार में कई उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। वे यह भी चाहते हैं कि किसी सिद्धारमैया समर्थक को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। यह पद फिलहाल डीके शिवकुमार के पास है।

डीके शिवकुमार खेमे के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले शिवकुमार एक उपमुख्यमंत्री के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन कई उपमुख्यमंत्रियों के लिए नहीं। शिवकुमार के लंबे समय से प्रतीक्षित राजतिलक से पहले, पर्दे के पीछे बातचीत और राजनीतिक सौदेबाजी का दौर जारी है।

डीके शिवकुमार गुरुवार सुबह सिद्धारमैया से नाश्ते पर मिलने वाले हैं। देखना यह है कि इडली, सांभर और वड़ा के साथ क्या मुख्यमंत्री शिवकुमार को कोई "मीठी सौगात" देंगे या फिर देरी का एक और तड़का लगाएंगे?

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को उसके पिता महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी। याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है। और उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को लेकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी शुभांशु दीक्षित, निरील कुमार, सुशील कुमार दिनेश गोयल और अरुण श्रीवास्तव की जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और एसीबी कोर्ट में भी पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है।

पाक की दुविधा, ट्रंप की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन बाद में उसी पोस्ट में उन्होंने "सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर" किये जाने की मांग की। इसका मतलब है कि छूट वास्तव में केवल पाकिस्तान के लिए है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि यदि कोई देश हस्ताक्षर नहीं करता, तो "उसे इस समझौते का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह उसकी गलत मंशा दिखाता है।" हालांकि पाकिस्तान ने बाहरी तौर पर मजबूत रुख दिखाते हुए कहा है कि उसे इससे बाहर रहने का विकल्प दिया गया है, लेकिन वह खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि इसका मतलब यह है कि वह फिर भी "समझौते का हिस्सा" बना रहेगा या नहीं। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर न करने से ट्रंप की नाराजगी मोल लेने की संभावना के अलावा पाकिस्तान के सामने एक और दुविधा है। पाकिस्तान लंबे समय से संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय रहा है और उसे उम्मीद थी कि संघर्ष का समाधान होने पर पश्चिम एशिया में उसे सुरक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक अवसर मिलेंगे।

पाकिस्तान पहले से ही यह सपना देख रहा है कि वह क्षेत्रीय केन्द्र बनकर उभरेगा, जहां सुरक्षा और स्थिरता के लिए सभी देश उसकी ओर रुख करेंगे और इसके बदले पाकिस्तान को लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ट्रंप की योजना में उसे बाहर रखा गया, तो यह बड़ा अवसर उसके हाथ से निकल सकता है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान में सेना के प्रभुत्व वाली सरकार शक्तिशाली जरूर है, लेकिन वह काफी अलोकप्रिय भी है। ऐसे में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से देश के भीतर ऐसा विरोध भड़क सकता है, जिसे सरकार शायद संभाल न सके।

फिलहाल तो पाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल को टालने में सफल रहा है। उसने अपना पुराना रुख दोहराया है कि वह तब तक इज़रायल को मान्यता नहीं देगा और न ही संबंध सामान्य करेगा, जब तक दो-राष्ट्र समाधान पर सहमति नहीं बनता, जिसमें यरुशलम को फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी बनाया जाए।

पाकिस्तान के भीतर मीडिया और पाकिस्तानी सेना समर्थकों ने भी हमेशा की तरह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इज़रायल को स्वीकार न करने के पुराने रुख का हवाला देते हुए बयानबाजी तेज कर दी है। लेकिन साथ ही यह चिंता भी दिखाई दे रही है कि इज़रायल का मुद्दा उस कूटनीतिक साख को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मेहरबानी से हाल के समय में हासिल किया है।

पंचायत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन तब तक चुनाव नहीं कराए गए। इस पर संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी। वहीं, बाद में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर समय बढ़ाने की गुहार की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों खंडपीठ ने चुनाव कराने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस फैसले को राज्य सरकार व चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600